न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा
जिला–उदयपुर (राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी : श्री सत्य नारायण–I RAS

प्रकरण संख्या–08/2023 : दायर दिनांक 21.02.223

1. श्री नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेश पिता बाबुलाल डामोर,जाति–मीणा निवासी– कण्डाल पोस्ट–खानमीन,तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0

– प्रार्थी –

बनाम

1. श्री कल्पेश पिता बाबुलाल जाति–मीणा,निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन ,तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
2. गंगा पत्नि शंकर जाति–मीणा, निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
3. श्री कान्तिलाल पिता शंकर ,जाति–मीणा,निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन ,तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
4. जुमली पुत्री भगवाना, जाति–मीणा,निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन ,तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
5. श्री पप्पु पिता बाबुलाल, जाति–मीणा,निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन ,तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
6. श्री मणीलाल पिता शंकर, जाति–मीणा, निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन ,तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
7. श्री रमेश पिता वजा ,जाति–मीणा,निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
8. सतू पुत्री भगवाना, जाति–मीणा, निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
9. श्री सुरजमल पुत्र कानजी, जाति–मीणा, निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन, तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
10. श्री हक्सी पुत्र भगवाना, जाति–मीणा,निवासी–कण्डाल पोस्ट–खानमीन ,तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0
11. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा , तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0

– अप्रार्थीगण –

उपस्थितः 1. श्री प्रकाश चन्द्र भणात, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री नरेन्द्र पाल असारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–7 ।

2. तहसीलदार खेरवाडा ,अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनाकः–06.03.2025

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी एंव विपक्षीगण की सयुंक्त खातेदारी एंव कब्जेशुदा भूमि मोजा कण्डाल पटवार हल्का खानमीन भू0अ0भि0नि0 खेरवाडा

Satya..
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2075 की खाता संख्या नया 180 पुराना 23 में खसरा संख्या 1399 रकबा 0.1600. 531 रकबा 0.1500,532 रकबा 0.1000, 539 रकबा 0.0300. 558 रकबा 0.2500, 559 रकबा 0.0400.560 रकबा 0.2400.561 रकबा 0.2000 , 564 रकबा 0.0300 , 565 रकबा 0.1200, 566 रकबा 0.0400, 567 रकबा 0.0400, 568 रकबा 0.1300, 569 रकबा 0.0300, 570 रकबा 0.0300, 571 रकबा 0.0200, 572 रकबा 0.2500, 576 रकबा 0.1600, 577 रकबा 0.1100, 578 रकबा 0.1600, 579 रकबा 0.2400, 580 रकबा 0.0400, 581 रकबा 0.0500, 582 रकबा 0.1100, 585 रकबा 0.1400, 586 रकबा 0.1600 कुल किता 26 रकबा 3.0300 हेक्टर 21.0600 रूपया होकर प्रार्थी की एंव विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी एंव कब्जेशुदा जमीन स्थित है। प्रार्थी के नाम से नामान्तरण खोलते समय साधारण बोलचाल की भाषा के अनुसार प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में नरेश अंकित हो गया है। चुंकि प्रार्थी को नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेश के नाम से जानते है तथा प्रार्थी ने अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, स्कुल रिकॉर्ड, व सर्विस रिकार्ड, बैंक डायरी, एवं बच्चों के स्कुल रिकार्ड में प्रार्थी ने अपना नाम नरेन्द्र कुमार कराया है तथा वर्तमान समय में सभी दस्तावेजो में नरेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल के नाम से अंकित है । इसके अलावा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मोजा कण्डाल में नरेश पिता बाबुलाल अंकित हो गया है । जो वर्तमान दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम नरेश पिता बाबुलाल अशुद्ध है जो प्रार्थी का अपना वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल के नाम से अपने राजस्व रिकार्ड में शुद्धीकरण कराने का विधिक अधिकारी है। विपक्षीगण प्रार्थी के भाई काका,बाबा भुआ, लगते है। प्रार्थी के दादा श्री कानजी के जीवन काल में ही प्रार्थी के पिता श्री बाबुलाल पिता श्री कानजी की मृत्यू दिनांक 24.04.1999 को हो गई थी इसलिए प्रार्थी के पिता श्री बाबुलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है । प्रार्थी के दादा श्री कानजी की मृत्यु दिनांक 04.02.2012 को होने के बाद प्रार्थी व विपक्षी संख्या –1, 5, व 9 का नाम वारिसान उत्तराधिकारी के रूप में होने से वारिसान के आधार पर पटवारी हल्का खानमीन ने राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1, 5, व 9 का नामान्तरण खोला गया, परन्तु पटवारी हल्का खानमीन द्वारा भूल–चुक या टेक्नीकल भूल या लापरवाही से एवं जांच किए बिना ही प्रार्थी का अशुद्ध नाम नरेश पिता बाबुलाल राजस्व रिकार्ड कण्डाल के खाता संख्या नया 180 पुराना 23 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खसरा संख्या 1399 रकबा 0.1600, 531 रकबा 0.1500, 532 रकबा 0.1000, 539 रकबा 0.0300, 558 रकबा 0.2500, 559 रकबा 0.400, 560 रकबा 0.2400, 561 रकबा 0.2000, 564 रकबा 0.0300, 565 रकबा 0.1200, 566 रकबा 0.0400, 567 रकबा 0.0400, 568 रकबा 0.1300, 569 रकबा 0.0300, 570 रकबा 0.0300, 571 रकबा 0.0200, 572 रकबा 0.2500, 576 रकबा 0.1600, 577 रकबा 0.1100, 578 रकबा 0.1600, 579 रकबा 0.2400, 580 रकबा 0.0400, 581 रकबा 0.0500, 582 रकबा 0.1100, 585 रकबा 0.1400, 586 रकबा 0.1600 कुल किता 26 रकबा 3.0300 हैक्टर 21.0600 रूपया में प्रार्थी का अशुद्ध नाम नरेश पिता बाबुलाल अंकित किया गया है । इसलिये प्रार्थी अपने अशुद्ध नाम की जगह रिकार्ड की जमाबन्दी में अपना वास्तविक नाम नरेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल को शुद्धिकरण कराने का अधिकारी है। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र माननीय आप न्यायालय में

Sahyg..
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत करना न्यायहित में आवश्यक हुआ है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेधारी होने से प्रार्थना–पत्र में पक्षकार बनाये गये है। उक्त वर्णित जमाबन्दी में काली पुत्री भगवाना के फौत हो जाने से प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है और वर्णित जमाबन्दी में वजा पुत्र भगवाना के फोत हो जाने से उनके वारिसान संख्या–7 है परन्तु आदिवासी क्षेत्र होने से एवं कम पढे–लिखे होने से विपक्षी संख्या–7 के नाम से नामान्तरण नही खोला गया है परन्तु वजा पुत्र भगवाना के फोत हो जाने से उनके वारीसान विपक्षी संख्या–7 को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी अपने नाम का राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में शुद्धिकरण कराता है तो अन्य सहखातदारो को किसी भी तरह की कोई आपत्ति/ऐतराज नही है। प्रार्थी अपने खाते की नकल लेने पटवार मण्डल खानमीन में दिनांक 01.02.2023 को गया तो अपने खाते की नकल प्राप्त होने पर प्रार्थी ने अपने खाते की नकल में अशुद्ध नाम की जानकारी होने से उक्त वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थी का राजस्व प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपस्थित हुऐ अप्रार्थीगण ने मौखिक रूप से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा द्वारा भी अपने जवाव में नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेश पिता बाबुलाल मीणा निवासी कण्डाल का व्यक्तिगत कागजात में नरेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल होने से राजस्व रेकार्ड में सही इन्द्राज कराने की अनुशंषा की गई है। तथा स्वयं प्रार्थी व अप्रार्थी कल्पेश, कान्तिलाल, गंगा, पप्पु, सतु, सुशीला, गीता देवी, सुरजमल के बयान कलमबद्ध कराये है। सभी गवाहान का कथन है कि नरेश के स्थान पर सही नाम नरेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता की बहस अपने प्रार्थना–पत्र के अनुसार रही। हमने प्रत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

::आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार खेरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम नरेश के स्थान पर नरेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल मीणा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 180/23 कुल किता 26 रकबा 3.0300 हेक्टर में 1/42 हिस्सा दर्ज किया जावे। तद्अनुसार तहसीलदार खेरवाडा पालना करें।

आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखील दफ्तर हो।

Sd/-

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner